Success story-1

सफलता की कहानी पी0एल0वी0 की जुबानी

मैं(पी0एल0वी0 हीरा सिंह मेहता) दिनांक 02 जनवरी 2017 को नववर्ष की बधाई देने अपने क्षेत्र में भ्रमण पर गया था तो बातों ही बातों में मेरे संज्ञान में यह आया कि ***"ग्राम पंचायत खितोली जनपद पिथौरागढ़ के निवासी विक्रम (काल्पनिक नाम) की 14 वर्षीया पुत्री कु0 शशि (काल्पनिक नाम) के साथ उसके रिश्ते के चाचा कवीन्द्र सिंह उर्फ काली ने लगातार अवैध सम्बन्ध बनाये थे जिससे वह 09 माह की गर्भवती है। क्षेत्र की ए0एन0एम0,आशा कार्यकर्ती व आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को इस बात की जानकारी है लेकिन सभी चुप हैं "।***

2– उक्त जानकारी मिलते ही मैं बेचैन हो गया और में तुरन्त खितोली गांव को चला गया । गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि किशोरी की समय से पूर्व डिलीवरी करवा दी गयी है व नवजात बच्चा किसी को गोद दे दिया गया है। यह जानकारी मिलने पर मैं पीड़िता के पिता विक्रम से मिलने गया तो उन्होंने बताया कि उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ को कविन्द्र सिंह उर्फ काली की लिखित शिकायत दी थी, परन्तु क्षेत्र के एक राजस्व उप निरीक्षक ने दबाव बनाकर समझौता करवा दिया है।

3– उक्त जानकारी मिलने के उपरान्त मैंने तुरन्त हैल्प लाइन 1098 में फोन कर सम्पूर्ण स्थिति की सूचना दी । दिनांक 04–01–2017 को मैं "चाइल्ड हैल्प लाइन टीम" के साथ खितोली गांव गया व पीड़िता के पिताजी को पिथौरागढ़ मुख्यालय में लाकर तत्कालीन डी0एम0 साहब से मुलाकात की व वस्तु स्थिति से अवगत कराया । डी0एम0 साहब के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज किया गया व जांच राजस्व पुलिस से रेगूलर पुलिस को सौंप दी । दिनांक 16–01–2017 को पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किये और मेडिकल कराया, परन्तु आरोपियों की गिरप्तारी नहीं की ।

4– दिनांक 06 फरवरी 2017 को सम्बन्धित क्षेत्र से मुझे धमकी मिली कि इस मामले में मैं समझौता करवा दूं ,यदि आरोपी गिरप्तार हो गये तो ठीक नहीं होगा ,तुम संभलकर रहना ।

5– दिनांक 07–02–2017 को मैं जन संगठनों को साथ लेकर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ से मिला । पुलिस अधीक्षक महोदय के हस्तक्षेप के बाद मुख्य आरोपी कविन्द्र सिंह उर्फ काली सिंह ,पीड़िता का चाचा राम सिंह, जानकी रावत को पीड़िता का प्रसव कराने का षडयन्त्र रचाने व प्रसव कराने वाली नर्स सरोज गुंज्याल को पुलिस द्वारा गिरप्तार कर लिया गया तथा आरोपियों के खिलाफ धारा 376,506,120बी और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया ।

.....2

6— नाबालिग से पैदा हुयी बच्ची की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गयी,दिनांक 11—02—2017 को शिशु का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया गया ।

7— पुलिस द्वारा आरोप पत्र मान्नीय न्यायालय में पेश करने में विलम्ब किये जाने पर मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से दिनांक 30—03—2017 को मिला व सारी बात उन्हें बतायी । पुलिस अधीक्षक महोदय ने तुरन्त आरोप पत्र मान्नीय न्यायालय को दाखिल करवाया ।

8— पीड़िता किशोरी पुनर्वास केन्द्र में रह रही है । लगातार मिल रही धमकियों के वावजूद भी मैं पी0एल0वी0 अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा हूं और प्रयास जारी है । आशा करता हूं कि मेरा प्रयास सफल होगा तथा पीड़िता को मान्नीय न्यायालय से न्याय मिलेगा और दोषियों को दण्डित किया जाएगा।

हीरा सिंह मेहता
पी0एल0वी0
क्षेत्र गुरना,
जनपद पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)